



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-26092026-276524
CG-DL-W-26092026-276524

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 14] नई दिल्ली, सितम्बर 20—सितम्बर 26, 2026, शनिवार/ भाद्र 29—आश्विन 4, 1948
No. 14] NEW DELHI, SEPTEMBER 20—SEPTEMBER 26, 2026, SATURDAY/ BHADRA 29—ASVINA 4, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2026

का.नि.आ. 26.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नौसेना (समूह “ग”) अराजपत्रित, अननुसचिवीय, अनौद्योगिक पद, ड्राइंग कार्यालय और राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक कार्यालय (ड्राइंग कर्मचारी) भर्ती नियम, 2003 को, जहां तक उनका संबंध नक्शानवीस श्रेणी-II (आयुध) और रक्षा मंत्रालय (नौ सेना) एकीकृत मुख्यालय, समूह ‘ख’ नक्शानवीस भर्ती नियम, 2008 को, जहां तक उनका संबंध नक्शानवीस श्रेणी-I (आयुध) से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, नौसेना मुख्यालय में, वरिष्ठ नक्शानवीस (आयुध) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, नौसेना मुख्यालय, वरिष्ठ नक्शानवीस (आयुध) समूह ‘ख’ पद भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदों का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. वरिष्ठ नक्शानवीस (आयुध)।	77* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400 - 112400 रु०)।	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक - (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण - केंद्रीय सरकार द्वारा	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन

यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा; और (ii) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वाशासी संगठन या कानूनी निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान से यांत्रिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नक्सावीस या ड्राइंग में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय : स्वचालित कम्प्यूटर सहायकी डिज़ाइन से संबंधित साफ्टवेयर में छः महीने का अनुभव। टिप्पण 1 - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		यथाविहित, परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा किए जाने के लिए, कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी, (क) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; और (ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखता हो।
--	--	---	---

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. नौसेना में कमोडोर या कैप्टन की रैंक का अधिकारी - अध्यक्ष;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

	2. नौसेना में विभाग से जुड़ा कमांडर की रैंक का अधिकारी या समकक्ष सिविलियन अधिकारी — सदस्य ; 3. नौसेना में विभाग के बाहर से कमांडर की रैंक का अधिकारी या समकक्ष रैंक का सिविलियन अधिकारी — सदस्य ।	
--	---	--

[फा. सं. सी.पी(एनजी)/भर्ती नियम/एसडीएम(आयुध)]

एम. पी. हरिनारायणन, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2026

S.R.O. 26.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Navy [Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial Posts, Drawing Office and National Hydrographic Office (Drawing staff)] Recruitment Rules, 2003, in so far as they relate to the post of Draughtsman Grade-II (Armament); and the Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy), Group 'B' (Draughtsman) Recruitment Rules, 2008, in so far as they relate to the post of Draughtsman Grade-I (Armament), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Draughtsman (Armament) in the Naval Headquarters, Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Naval Headquarters, Senior Draughtsman (Armament), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-

servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Draughtsman (Armament).	77* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Not applicable.	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Diploma in Mechanical Engineering from a recognised institute; and (ii) two years experience from a drawing or design office in the field of mechanical engineering from the Central Government or State Government or Union territory administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertaking or recognised University or recognised research institution. Desirable: Six months experience on the software relating to Auto Computer Aided Design. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or	Not applicable.	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government, or State Government,— (a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7).

competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			
--	--	--	--

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:— 1. Officer of the rank of Commodore or Captain of Indian Navy — Chairman; 2. Officer of the rank of Commander or Civilian officer of equivalent rank of Indian Navy, associated with department — Member; 3. Officer of the rank of Lieutenant Commander or Civilian Officer of equivalent rank of Indian Navy, not associated with the department — Member	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. CP(NG)/2801/RR/SDM(ARM)]

M.P . HARINARAYANAN, Under Secy.